...लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

...सीन अधिकारी :— मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

...द संख्या:— 382 / प्रा0पत्र / 2016

1. कस्तूरी बाई आयु 75 वर्ष बैवा रामकिशन जाति धाकड निवासी भवानीपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी।
2. बालूलाल आयु वयस्क रामकिशन जाति धाकड निवासी भवानीपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी।
3. राधेश्याम आयु वयस्क आ0 रामकिशन जाति धाकड, निवासी भवानीपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी।
4. फूलाबाई आयु वयस्क पुत्री रामकिशन जाति धाकड निवासी भवानीपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :— 251 (क) आर0टी0एक्ट

प्रार्थीगण अभिभाषक —श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थीगण अभिभाषक — पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :— 16 / 04 / 2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1312 / 1186 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम शंकरपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है जो जमाबंदी संवत 2069 से 2072 की खतोनी संख्या 4 में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने वर्तमान में अपनी उक्त भूमि में उडद की फसल बो रखी है। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर भवानीपुरा से रानीपुरा जाने वाली पक्की सडक से खसरा संख्या 1184 सिवायचक में होकर, खसरा संख्या 1185 की मेड पर होकर खसरा संख्या 1186 पर आते जाते है। खसरा संख्या 1185 के खातेदारान द्वारा प्रार्थीगण के रास्ते पर कभी एतराज नही किया है और प्रार्थीगण के रास्ते बाबत सहमति दे रखी है इस कारण खसरा संख्या 1185 पर रास्ता घोषित नही करवाया जा रहा है। मौके पर उक्त रास्ता खसरा संख्या 1184 में बाबाजी के आश्रम की बाड के सहारे—सहारे 20 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थीगण गत 30 वर्षो से निरंतर निर्बाध

शांतिपूर्वक करते आ रहे है। खसरा संख्या 1184 सिवायचक भूमि है जिस पर [अतिक्र]मी आये दिन कब्जा करने की कुचेष्ठा कर रहे है और खसरा संख्या 1184 में स्थित [उन]के रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा कर रास्ते को बंद करने की धमकियां दे रहे है इसलिए प्रार्थीगण खसरा संख्या 1184 में बाबाजी के आश्रम की बाड के सहारे–सहारे खसरा संख्या 1185 की सीमा तक 20 फिट चौडे रास्ते की घोषणा करवाना चाहते है ताकि भविष्य में रास्ते के बाबत कोई विवाद न हो व अतिकमी रास्ते पर अतिकमण नही कर सकें। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर आने–जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण भूमि पर आने–जोन की सुविधाजनक एवं आवश्यकताजनिता यही रास्ता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर इस वर्ष भी फसल इसी रास्ते से बोयी है। प्रार्थी खसरा संख्या 1184 में स्थित अपने उक्त रास्ते को रिकार्ड में घोषित करवाना चाहते है। उक्त रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही होने से अतिकमी रास्ते पर अतिकमण कर कब्जा करने का प्रयास करते है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया नवीन मार्ग जो खसरा संख्या 1184 में बाबाजी के आश्रम की बाड के सहारे–सहारे 20 फिट चौडा एवं खसरा संख्या 1185 की सीमा तक बना है जिसका नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण ने अपने उक्त रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष दिनांक 20.07.2016 को प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदार साहब ने रास्ता रिकार्ड में दर्ज करने से मना कर दिया और न्यायालय एस0डी0ओ0 से आदेश लाये बिना रिकार्ड में दर्ज करने से इंकार कर देने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 1184 में से प्रार्थीगण के घोषित रास्ते का प्रतिकरण जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण भवानीपुरा से रानीपुरा जाने वाली पक्की सडक से खसरा संख्या 1184 में बाबाजी के आश्रम के सहारे सहारे 20 फिट चौडा रास्ता खसरा संख्या 1185 की सीमा तक घोषित करवावें एवं रासते की तरमीम नक्शा ट्रेस में अंकित करावें। भूमि ग्राम शंकरपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1312/1186 रकबा 5 बीघा पर आने–जाने हेतु भवानीपुरा से रानीपुरा जाने वाली पक्की सडक से खसरा संख्या 1184 सिवायचक में बाबाजी के आश्रम के सहारे सहारे 20 फिट चौडा रास्ता खसरा संख्या 1185 की सीमा तक घोषित करने एवं रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करने तथा रास्ते की तरमीम नक्शा लट्टा में करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वादीगण अपनी खातेदारी आराजी 1312/1186 रकबा 5 बीघा में रेकार्ड में रास्ता कायम चाहते है। पटवारी व भू9अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट पेश नक्शा रिपोर्ट अनुसार ग्राम भवानीपुरा की आराजी 322 रकबा 0.1342 हैक्टयर में पूर्व से ही रास्ता दर्ज रेकार्ड है। अतः नया रास्ता दिया जाने का औचित्य नही है। प्रार्थी व अन्य आराजी खसरा नम्बर 1184 जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते से आ जा रहे है। प्रकरण खारिज योग्य है।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 1312/1186 ग्राम शंकरपुरा प्रार्थीगण खाते की भूमि है जिस पर हमारा कब्जा काश्त है। जिस पर आने जाने हेतु भवानीपुरा व रानीपुरा जाने वाली पक्की सडक से खसरा संख्या 1184 में से होकर खसरा संख्या 1185 व 1186 पर से आते जाते है। खसरा संख्या 1186 के खातेदार द्वारा आने जाने में कोई अवरोध पैदा नही किया जा रहा है। खसरा संख्या 1184 में बाबाजी के आश्रम की बाड के सहारे 20 फीट चौडा रस्ता है जिस पर से प्रार्थीगण आवागमन करते है। खसरा संख्या 1184 सिवायचक भूमि है जिस पर अतिक्रमी आये दिन अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्व करते रहते है। इस हेतु प्रार्थीगण खसरा संख्या 1184 में रस्ता घोषित करवाना चाहते है। हमारे द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। यह रास्ता घोषित किया जावें। हम नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराने हेतु तैयार है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो/नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पत्र क्रमांक :– 811/एल0आर0/2020 दिनांक 29.12.2020 से राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित रास्ते बाबत रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाकर न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें अंकन किया है कि प्रार्थीगण मुताबिक राजस्व रिकोर्ड के खसरा संख्या 1312/1186 के खातेदार कृषक ग्राम शंकरपुरा में दर्ज है। प्रार्थीगण की आराजी ग्राम भवानीपुरा व शंकरपुरा की सीमा पर है। उक्त आराजी पर आने–जाने हेतु आराजी की उत्तर दिशा की ओर ग्राम भवानीपुरा में खसरा नम्बर 322 रकबा 0.1342 हैक्टयर किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज रिकोर्ड है। चूंकि राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है जो उक्त आराजी को स्पर्श करता हुआ उत्तर दिशा में निकल रहा है। अतः नया रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य नही है साथ ही वर्तमान में प्रार्थीगण एक अन्य वैकल्पिक रास्ते खसरा नम्बर 1384 जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है, से अपनी उक्त आराजीयात में आ जा रहा है।

प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु पूर्व में ही रास्ता विधमान होकर चालू होने से नवीन रास्ता घोषित किया जाना उचित प्रतीत नही होता। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया जाना पाया जाता है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली